बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–1/छात्रवृत्ति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक–06/2010– पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति) प्रदान करने हेतु कुल ₹24752.87 लाख (रूपये दो अरब सैंतालिस करोड़ बावन लाख सतासी हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु बजट उपबन्ध के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–20 दिनांक–01.07.15 द्वारा कुल ₹92848.00 लाख (रूपये नौ अरब अठाईस करोड़ अड़तालीस लाख) एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–22 दिनांक–17.07.15 द्वारा ₹34677.47 लाख (रूपये तीन अरब छियालिस करोड़ सतहत्तर लाख सैंतालिस हजार) अर्थात् कुल ₹127525.47 लाख (रूपये बारह अरब पचहत्तर करोड़ पच्चीस लाख सैंतालिस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनः राज्य योजनान्तर्गत ₹24752.87 लाख (रूपये दो अरब सैंतालिस करोड़ बावन लाख सतासी हजार) का प्राप्त योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के आलोक में कुल उपबन्धित राशि ₹24752.87 लाख (रूपये दो अरब सैंतालिस करोड़ बावन लाख सतासी हजार) मात्र की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा कूट संख्या–3401–छात्रवृत्ति/ वजीफा विपत्र कोड P2225032770101 के राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी, 2016 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2016 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

7– विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण विभागीय संकल्प संख्या–53 दिनांक–12.11.2012 एवं पत्रांक–2339 दिनांक–22.11.13 के आलोक में किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

Letter of Princ.Secy(sanction order).(Harry)

8– उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

9– प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री की सहमति प्राप्त है।

10– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह0/–
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/छात्रवृत्ति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक–06/2010–05 पटना, दिनांक–22-1-16

प्रतिलिपि– विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभ जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।